

परिशिष्ट (क)
(बैंक द्वारा दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा)
ब्याज उपादान बिल (दावा फॉर्म)

1. बैंक का नाम : बैंक खाता सं०.....
2. उद्यमी का नाम व पता:

सेवा में,

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
उत्तरांचल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
220 विकास भवन, रुद्रपुर
उधम सिंह नगर

महोदय,

ब्याज उपादान पत्रता प्रमाण पत्र सं० दिनांक..... जो कि जिला ग्रामोद्योग अधिकारी उत्तरांचल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उधम सिंह नगर द्वारा जारी किया गया है। हम सुनिश्चित करते हैं कि टर्म लोन मद में रूपया उपरोक्त व्यक्ति को स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त खाते पर ब्याज दर क्रमशः रूपया वार्षिक है, को स्वीकृत किया गया है।

2. बिल का विवरण निम्नवत है -

ऋण धनराशि	ब्याज की धनराशि बैंक की सामान्य दरों पर			उद्यमी द्वारा वहन की जाने वाली 4% दर पर धनराशि	बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली अन्तर धनराशि
	मूल स्वीकृत बकाया	अवधि	दर		
कार्यशील पूंजी पूंजीगत					

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त बिल की धनराशि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से बैंक को इससे पूर्व प्राप्त नहीं हुई है।

अग्रिम रसीद

उत्तरांचल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से धनराशि शब्दों में.....
..... ब्याज उपादान दिनांक से दिनांक तक का श्री.....
..... के पक्ष में प्राप्त किया।

उद्यमी के हस्ताक्षर व पूरा नाम

ह० शाखा प्रबन्धक
मोहर

भुगतान रूपया.....
शब्दों में.....

प्रबन्धक ग्रामोद्योग / जिला ग्रा० अधिकारी
के हस्ताक्षर मुहर सहित